(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं.38/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांक:25नवम्बर, 2022

विषयः गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात के लिए ई–136 पर नए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) का निर्धारण, सिओन ई–110 को हटाना, परिशिष्ट 4जे में संशोधन और प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के तहत नए पैरा 4.05 (iii) को शामिल करना।

विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.13 के प्रावधानों के अनुसार और समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) ई–110 को हटाया जाता है।

2. खाद्य उत्पाद श्रेणी में नए सिओन को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

सिओन	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ई-136	गेहूं का आटा	1.00 कि.ग्रा.	गेहूं	1.07 कि.ग्रा.

टिप्पणी: इस सिओन के उद्देश्य हेतु 'गेहूं का आटा (आटा)' का तात्पर्य 'साबुत गेहूं के आटे (आटा)' से है और इसे अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करते समय तकनीकी विशेषता के रूप में पृष्ठांकित किया जाना है।

3. इस सिओन के तहत अग्रिम प्राधिकार–पत्र (एए) निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

i. अग्रिम प्राधिकार–पत्र (एए) केवल आटा मिलर्स को जारी किया जाएगा।

ii. अग्रिम प्राधिकार–पत्र पूर्व आयात शर्तों के साथ जारी किया जाएगा।

iii. सिओन की वैधता तभी तक है जब तक 'गेहूं' निर्यात हेतु निषिध है। इसके बाद सिओन के तहत कोई भी अग्रिम प्राधिकार–पत्र जारी नहीं किया जाएगा। पहले जारी किया गया अग्रिम प्राधिकार–पत्र (एए) सामान्यतः प्रचालन हेतु जारी रहेगा।

iv. प्रविष्टि बिल जिसके तहत आयात किया जाना है को निर्यात को अनुमत करते हुए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

v. घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से गेहूं की खरीद अग्रिम प्राधिकार–पत्र के तहत किसी भी मामले में अनुमान्य नहीं होगी।

4. परिशिष्टि 4जे में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

स. सा2गो

क्र.सं.	आयात मद (मदें)	सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात की प्रत्येक खेप की निकासी की तिथि से पूर्व आयात शर्तो के साथ निर्यात दायित्व अवधि
14.	गेहूं	180 दिन

5. उप–पैरा 4.05 (ii) के उपरान्त एक नए उप–पैरा 04.05 (iii) को निम्नानुसार शामिल किया गया है;

अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम के अंतर्गत "गेहूं के आटे (आटा)" के निर्यात को अनुमत किया गया है बशर्ते कि गेहूं की आयात–पूर्व शर्तों को केवल सिओन के अध्यधीन अधिसूचित किया गया हो। गेहूं के किसी घरेलू/स्वदेशी स्रोत की अनुमति नहीं है और अमान्यता पत्र/एआरओ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मामले में तृतीय पक्ष को निर्यात भी अनुमत नहीं होगा। केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति होगी। गेहूं हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से 180 दिनों के लिए होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा जॉब कार्य सहित किसी प्रयोजन के लिए आयातित गेहूं का अंतरण नहीं किया जाएगा। निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने/निर्धारित मूल्य वर्धन प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में, लागू शुल्क और ब्याज के भुगतान के अलावा आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के पांच गुना के बराबर जुर्माना जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हों, लगाया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधान इस मामलें में लागू नहीं होंगे।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:</u>

सिओन–ई 110 हटा दिया गया है। अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम के तहत गेहूं के आटे (आटा) का निर्यात की अनुमति है। तदनुसार एक नया सिओन अधिसूचित किया गया है और 'गेहूं' के आयात को पूर्व आयात शर्त के साथ परिशिष्ट 4जे के तहत रखा गया है। ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में घरेलू खरीद की अनुमति नहीं है।

संतोष कुमार सारंगी

(संतोष कुमार सांरगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/157/एएम–22/पीसी–4 से जारी)